[24/3/2021] परिशिष्ट — 1

प्रश्न सं. [क्र. 3973]

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी,दिनांक/13-4-15

क्रमांक/डी.एम./1772

प्रति,

कार्य पालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग संभाग

शिवपुरी(म.प्र.)

(4)

विषयः— योजनान्तर्गत ग्राम डोंगरी से ग्राम मोहनी होकर मगरौनी पहुँचमार्ग सड़क निर्माण कर चौड़ीकरण करने की अनुमति देने बावत् ।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक /4482 / कार्य वर्ग / योजना /2014—15 दि. 15.12.14

---00---

विषयांकित संबंध में लेख है कि ग्राम डोंगरी से ग्राम मोहनी होकर मगरौनी पहुँचमार्ग सड़क निर्माण में निम्न वन कक्ष के भाग को प्रभावित करता है ,जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित लम्बाई मी.	प्रस्तावित चौड़ाई मी 0	क्षेत्रफल है0 में
1	2	3	4	5	6
1	डोंगरी	493	400	9.00	0.360
2	मोहनी	484	200	9.00	0.180
	योग				0.540

उपरोक्तानुसार 0.540 हेक्टर वनक्षेत्र के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत आवेदक संस्था से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पृ. क्रमांक एफ —5/11/06/10—3 भोपाल दिनांक 29.05.09 से दिये गये निर्देशों के तारतम्य में निम्न लिखित शर्तों के अधीन उपरोक्त वनक्षेत्र के अंतर्गत मार्ग निर्माण करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है :—

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नही होगा ।
2. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी ।
3. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के आदेश क्रमांक एफ —5/16/2000/10—3 भोपाल दिनांक 12.09.2008 पालन में आवेदक संस्था से प्रस्तावित वनभूमि पर नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि 3,38,040/— रूपये जमा करा ली गई है ।

48MP AI DUAL CAMERA

5

4. वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति ग्राम डोंगरी से ग्राम मोहनी होकर मगरौनी पहुँचमार्ग सडक निर्माण हेतु दी जा रही है .इसके अतिरिक्त क्षेत्र में यदि कार्य किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

5. प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले वृक्षों को काटा नही जावेगा और न ही वनक्षेत्र में खड़े वृक्षों को क्षति पहुंचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को भी काटा नही जावेगा।

6. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।

7. मार्ग निर्माण के लिये मिट्टी तथा पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन कार्य नही किया जावेगा।

8. यदि आपके द्वारा तथा ठेकेदार द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि / क्षति पहुंचाई जाती है तो जो वनक्षेत्र की हानि होगी वह इस कार्यालय द्वारा निर्धारित की जावेगी । जो आपके द्वारा अनिवार्य रूप से देय होगी ।

9. यदि आवेदक संस्था द्वारा उक्त कार्य के रखरखाव के लिए यदि कोई भी कार्य कराया जाता है तो बिना वन संरक्षक ,वनमण्डल शिवपुरी की पूर्वानुमति के नहीं किया जावेगा।

10. म.प्र. शासन वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं वन संरक्षक , वनमण्डल शिवपुरी द्वारा प्रकरण में यदि किसी भी प्रकार की शर्त / राशि अधिरोपित की जाती है, तो आवेदक संस्था उस राशि का भुगतान करने एवं शर्त मानने के लिए बाध्य होगा।

11. यदि आवेदक संस्था द्वारा प्रदान की गई सशर्त स्वीकृति व वन अधिनियमों का किसी प्रकार से मौके पर उल्लंघन किया जाता है ,तो इस कार्यालय द्वारा दी गई स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

12. उपरोक्त शर्तो के पालन में आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदुपरांत ही कार्य प्रारम्भ कर सकेंगें ।

उपरोक्त शर्तो का पालन करने के उपरांत उक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(डी०के०अग्रवाल)
वन संरक्षक
वन मण्डल शिवपुरी(म.प्र.)

48MP AI DUAL CAMERA
Shot by MAYANK JI

(36)

पृ.क्रमांक/ /अएम/ शिवपुरी,दिनांक/

प्रतिलिपि:-

1. सचिव म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक /एफ –5/11/06/10–3 भोपाल दिनांक 29.05.2009 के सदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पृष्ठां क्र./एफ –11/09/35/10–11/1187 दिनांक 03.06.09 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4. जिलाध्यक्ष, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।
5. उपवनमण्डलाधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. वन परिक्षेत्राधिकारी सतनवाड़ा की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक
वन मण्डल शिवपुरी(म.प्र.)

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री
म.प्र. लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुरी (म.प्र.)

पृ.क्रमांक 2069/कार्यवर्ग/सड़क/2015–16 शिवपुरी,दिनांक 15/4/15

प्रतिलिपि :–

अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग,उपसंभाग क्र. 02 शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग
शिवपुरी (म.प्र.)

48MP AI DUAL CAMERA
Shot by MAYANK JI